(b) adaptation of toilets for wheel chair users;

(c) braille symbols and auditory signals in elevators or lifts;

(d) ramps in hospitals, primary health centres and other medical care and rehabilitation institutions.

4— उपरोक्तानुसार सार्वजनिक भवनों में रैम्प बनाने, ब्रेल प्रतीक चिन्ह तथा लिफ्ट आदि में आडीटरी सिगनल, चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों तथा दूसरे मेडिकल केयर और पुनर्वास संस्थाओं में रैम्प बनाया जाना आवश्यक है। सड़कों के किनारे फुटपाथों पर व्हील चेयर के चलने लायक व्यवस्था हो तथा दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए सार्वजनिक सड़कों पर आडीटरी सिगनल आदि भी बनाया जाना आवश्यक है।

5— यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत एक मुख्य विकलांग जन आयुक्त नियुक्त है तथा प्रदेश शासन द्वारा भी आयुक्त, विकलांग जन की तैनाती की गई है। इनके द्वारा विकलांग जनों को प्रदत्त सुविधाओं की समीक्षा भी की जाती है। भारत सरकार द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि सार्वजनिक भवनों/स्थानों को विकलांग व्यक्तियों की आसान पहुँच के लिए बाधा रहित सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। इसी परिपेक्ष्य में आवास विभाग द्वारा अपने बिल्डिंग बाइलाज में बाधा रहित सुविधाओं के अनुसार भवनों को बनाये जाने के लिए संशोधन करके उन्हें एडाप्ट किया जा चुका है तथा सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश भी दिये जा चुके हैं।

6— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार जो कदम अभी तक विभागों द्वारा अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु उठाये गये हैं, वे अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी को अधिक संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। नियमों का कियान्वयन वास्तविक रूप से होना चाहिए। अतः आप से अनुरोध है कि अधिनियम के वास्तविक कार्यान्वयन करने में अपने विभागों में बाधारहित वातावरण का सृजन यथाशीघ्र सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2—मुख्य विकलांगजन आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, जी 31, सेक्टर 39, नोएडा, उत्तर प्रदेश।

3—आयुक्त, विकलांगजन, 21—कृष्णा कालोनी फैजाबाद रोड, लखनऊ।

4—निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0एन0 गर्ग)

प्रमुख सचिव।